Research Paper | IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 7 | JULY 2025

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण

लेखा राम [1]

[1] **सहायक आचार्य, (VSY) अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय सिणधरी.**

ABSTRACT:

यह शोध पत्र राजस्थान राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक समाज के सबसे वंचित और असंगठित वर्गों में आते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए भी न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए संचालित योजनाएंकृजैसे कि शिक्षा सहायता, विवाह अनुदान, आवास सहायता, मातृत्व लाभ, दुर्घटना/मृत्यु राहत, चिकित्सा सहायता, और सिलिकोसिस मुआवजा-एक महत्वपूर्ण सामाजिक हस्तक्षेप हैं।

शोध में पाया गया कि यद्यपि योजनाओं की संरचना सुदृढ़ एवं उद्देश्यपरक है, किंतु जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं हैं। प्रमुख समस्याओं में ई-मित्र केन्द्रों द्वारा अनियमित शुल्क वसूली, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, तकनीकी बाधाएं, पोर्टल का सुचारु संचालन न होना, और पात्रता निर्धारण में पारदर्शिता की कमी शामिल है। इसके अलावा मंडल द्वारा एकत्र किए गए उपकर (cess) का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाना तथा राज्य सरकार द्वारा इस कोष का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु किया जाना भी चिंता का विषय है।

इस शोध में सामाजिक ऑडिट, लाभार्थियों की साक्षात्कार रिपोर्ट, तथा मंडल के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए योजनाओं की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को रेखांकित किया गया है। अंततः शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए, तो ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती हैं। इसके लिए नीति-निर्माताओं, श्रमिक संगठनों और नागरिक समाज के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें योजनाओं की व्याप्ति, समस्याएँ, सामाजिक ऑडिट एवं सुधारात्मक सुझाव शामिल हैं। यह शोध पत्र राजस्थान के निर्माण श्रमिकों के लाभ के सन्दर्भ में **BOCWWB** की योजनाओं को व्यापक रूप से समीक्षा करता है तथा तात्कालिक सुधार व दीर्घकालिक दिशानिर्देश प्रस्तुत करता है।

KEYWORDS:

भवननिर्माण, असंगठित, कल्याण, पारदर्शिता, आवास, सहायता।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
4th July 2025	7th July 2025

प्रस्तावनाः-

भारत जैसे विकासशील देश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्रमिक वर्ग देश की अधोसंरचना के निर्माण में योगदान करते हुए समाज की प्रगति का आधार बनाता है, किन्तु स्वयं अक्सर अत्यधिक शोषण, असंगठित कार्य स्थितियों, आर्थिक असुरक्षा एवं सामाजिक उपेक्षा का शिकार रहता है। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य इस श्रमिक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है।

राजस्थान में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (BOCWWB) का गठन श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया गया है। यह मंडल विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, आवास अनुदान, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना राहत, ब्याज प्रतिपूर्ति, सिलिकोसिस सहायता जैसी अनेक योजनाओं का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी जीवन सुनिश्चित करना है।

हालाँकि योजनाओं की घोषणा और संचालन तो हुआ है, परंतु इनकी प्रभावशीलता, पहुँच, पारदर्शिता और लाभार्थियों तक लाभ की वास्तविक उपलब्धता को लेकर समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। अतः इस शोध का उद्देश्य राजस्थान के भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का समग्र मूल्यांकन करना है, ताकि इन योजनाओं की सफलता, बाधाएँ, और सुधार की संभावनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण किया जा सके तथा श्रमिकों के जीवन स्तर को प्रभावी रूप से उन्नत किया जा सके।

राजस्थान में BOCW Welfare Board के अंतर्गत 13 प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें विवाह सहायता, शिक्षा व छात्रवृत्ति, आवास, मातृत्व सहायता, दुर्घटना/मृत्यु/अक्षम्य पात्रता, ब्याज प्रतिपूर्ति, सिलिकोसिस सहायता आदि शामिल हैं।इन योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।

योजनाओं की रूपरेखा:-

शुभशक्ति योजनाः- पुत्री की शादी पर ₹55,000, पुत्री के पढ़ाई पूरी करने पर राशि।

शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजनाएं:- प्राथमिक से उच्चशिक्षा तक स्कॉलरशिप; IIT/IIM प्रवेश पर विशेष अनुदान।

आवास योजनाः- निजी घर निर्माण हेतु अनुदान।

मातृत्व एवं स्वास्थ्य सहायताः- प्रसूत एवं गंभीर बीमारियों पर प्रतिपूर्ति।

ब्याज प्रतिपूर्ति योजनाः- व्यवसाय हेतु लिए ऋण पर ब्याज राहत।

दुर्घटना/मृत्यु राहत, सिलिकोसिस, टूलकिट सहायता, आदि।

मूल्यांकन अध्ययन का ढांचा:-

डेटा स्रोत

सरकारी आंकड़े (लोकसभा, विधायी उत्तर, मंडल रिपोर्ट आदि)

सामाजिक ऑडिट और जन सुनवाइयाँ

पत्रकारिता रिपोर्ट एवं क्षेत्रीय केस स्टडीज (Newsclick,101 Reporters)

विश्लेषण विधियाँ:-

आवेदन नंबर, स्वीकृति/अस्वीकृति दर, भुगतान विलंब का आंकलन

शोषण, भ्रष्टाचार और ई-मित्रों की भूमिका की जांच

सामाजिक ऑडिट की सफलता और सार्वजनिक सुनवाई का प्रभाव

प्रमुख निष्कर्ष:-

आवेदन प्रक्रिया में बाधाएँ

90 दिन कार्य प्रमाण की समस्या, खासकर निजी ठेकेदारों के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए।

ई-मित्र सेवाओं में भ्रष्टाचारउच्च फीस, फास्ट-ट्रैक एजेंटों का दबाव।

सामाजिक ऑडिट से भ्रष्ट गतिविधियाँ उजागर हुई; पर सख्त कार्यवाही की कमी रही ।

धन संग्रह और व्यय में असंतुलन

1% निर्माण लागत पर कृषि cess से ₹3925 करोड़ संग्रह, जिसमें से ₹2164 करोड़ (55%) ही व्यय ।

COVID-19 दौर में ₹328.5 करोड़ का सरकार-द्वारा BOCWWB से उधार, अभी तक ऋण की वापसी नहीं।

लंबित आवेदनों की संख्या

लगभग 9 मिलियन आवेदन, ₹2459 करोड़ की देयता; मार्च 2022 तक केवल 8 लाख पात्र पाए गए।

शहरी/ग्रामीण विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति दर स्वीकृत 11.5 लाख, अस्वीकृत 14 लाख, 7 लाख लंबित।

वितरण की देरी

बैंक विलय, IFSC बदलाव, डिपार्टमेंट प्राथमिकता तय नहीं होना, तकनीकी व्यवधान (portal maintenance)।

"शुभशक्ति" पोर्टल चार वर्षों से बंद, आवेदन करने पर भी सहायता रुक गई है।

सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक सुनवाई

भीम तहसीलमें नेशनल लॉ स्कूल और टीआईएसएस द्वारा आयोजित ऑडिट से स्पष्ट हुआ कि लाभार्थियों को कमीशन वसूले जाते हैं;

नवीनतम आदेशों में कहा गया - बिना गुजरहित सामग्री भुगतान की मांग करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें; अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ी है।

समस्याओं का विश्लेषण:-

1. भ्रष्टाचार व दलालों का हस्तक्षेप, ई-मित्र उत्पीड़न
2. वित्तीय संकटरू बमे संग्रह के बावजूद सरकार द्वारा ऋण ग्रहण
3. तकनीकी अड़चनें, जैसे पोर्टल डाउन, बैंक विलय, IFSC परिवर्तन
4. स्थायी प्रणालीगत जांच एवं समर्थन की कमी
5. पर्याप्त जनसाक्षरता व शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति
7. सुझाव एवं सुधारात्मक उपाय

समस्या:-

आवेदन एवं वितरण में भ्रष्टाचार

वित्तीय प्रवाह में बाधा

तकनीकी व बैंकिंग देरी

शैक्षणिक जागरूकता की कमी

प्रवासी/माइग्रेंट श्रमिकों की उपेक्षा

सुझाव:-

सामाजिक ऑडिट को नियमित करें, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम और लोक-शिकायत पोर्टल स्थापित करें

cess का ऑडिट करवाएँ, उधार के बजाए डायरेक्ट फंड रिलीज़ सुनिश्चित करें

पोर्टल और बैंक संबद्धता समय पर बनाए रखें, पूर्व सूचना दें

क्षेत्रीय कार्यशालाएँ, श्रमिक यूनियनों के साथ साझेदारी करें

प्रमाण हेतु वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकृत करें; मोबाइल/विद्यालय बैंक प्रमाणीकरण सुविद्ध करें

निष्कर्ष:-

राजस्थान की BOCWWB योजनाओं का ढांचा क्षमता शाली एवं समष्टिगत लाभ आरंभ करने वाला है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता भ्रष्टाचार, वित्तीय अवरोध, संचालन व्याधि और जनसाक्षरता की कमी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है। सामाजिक ऑडिट जैसी पहलों से मानक स्पष्ट हुए हैं, लेकिन उनकी निरंतरता एवं सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

बैंक प्रक्रियाओं, पोर्टल कार्यक्षमता, धन की उपलब्धता, और शिकायत समाधान तंत्र को सुदृढ़ कर ये योजनाएं श्रमिकों तक निरंतर लाभ पहुँचा सकती हैं और राज्य के विकास में योगदान दे सकती हैं।

भविष्य हेतु अनुसंधान दिशाएं:-

माइक्रो-लेवल प्रभाव अध्ययन: विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में लाभ विस्तार की तुलनात्मक समीक्षा

माइग्रेंट श्रमिकों हेतु विशेष पेमेंट प्रणालियों का मॉड्यूल बनाना

सामाजिक ऑडिट की प्रभावशीलता को मात्रात्मक दृष्टि से आकलित करना

REFERENCES

सरकारी दस्तावेज एवं अधिनियम

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

2. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

3. राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की वार्षिक रिपोर्ट्स (2018-2024)

शैक्षणिक शोध पत्र व अध्ययन रिपोट्स

4. Social Protection for Construction Workers in India: An Analysis of Welfare Board Functioning — Centre for Policy Research (CPR) 2022

5. Assessing the Implementation of BOCW Welfare Schemes in Rajasthan — Indian Institute of Labour Economics, 2023

6. Silicosis among construction workers in Rajasthan: A Public Health Crisis — Journal of Occupational Health, Volume 57, Issue 3, 2022

स्वतंत्र संगठन और सामाजिक ऑडिट रिपोट्स

7. मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)-भीम तहसील, राजस्थान में श्रमिक योजनाओं पर की गई जन सुनवाई की रिपोर्ट (2022)।

8. Social Audit Report on Construction Workers' Welfare Schemes

पत्र-पत्रिकाएं एवं समाचार लेख

9. 101Reporters.com — "राजस्थान में ई-मित्रों की लूट और योजनाओं में देरी" (रिपोर्टरशुभम श्रीवास्तव, 2022)। https://101reporters.com

10. Newsclick.in — "BOCW Funds used for COVID relief, workers left unpaid" (लेखकरू परंजोय गुहा ठाकुरता, 2021)। https:@@www-newsclick-in

11. The Wire Hindi — "राजस्थान के श्रमिकों को नहीं मिल रहा उनका हक़" (2023)। https://thewirehindi-com

सरकारी वेबसाइट्स और ऑनलाइन पोर्टल

12. https://labour.rajasthan.gov.in

13. https://bocwboard.labour.rajasthan.gov.in

अन्य सन्दर्भ ग्रंथ

14. "श्रमिक कल्याण और समाजशास्त्र" - डॉ. डी.एन. शर्मा, (प्रकाशकरू हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)।

15. "भारत में असंगठित क्षेत्र की समस्याए" - प्रो. वी.एल. राय, (प्रकाशकरू राजकमल प्रकाशन, 2019)।